महत्वपूर्ण

संख्या–2275/सैंतीस–2–2023–5(53)/2018

प्रेषक,

अमरनाथ उपाध्याय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊ :: दिनांक 20 सितम्बर, 2023

विषय– निराश्रित गोवंश के भरण–पोषण हेतु निर्धारित अनुदान धनराशि में वृद्धि किये जाने के संबंध में।

—

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 1370/सा–1/12–573/2023–24 दिनांक 15 सितम्बर, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों (यथा–ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों) में अस्थायी गो आश्रय स्थलों की स्थापना व संचालन नीति का प्रख्यापन शासनादेश संख्या–4324/सैंतीस–2–2018–5(53)/2018 दिनांक 02.01.2019 द्वारा किया गया है। उक्त शासनादेश दिनांक–02.01.2019 द्वारा निर्गत नीति के अंतर्गत गोवंश के संरक्षण एवं उनके भरण–पोषण हेतु प्रदेश में निम्नानुसार योजनायें संचालित की जा रही हैं:–

(1) निराश्रित गोवंश हेतु स्थायी/अस्थायी गो आश्रय स्थलों/केन्द्रों की स्थापना कर उनका भरण–पोषण किये जाने की योजना।

(2) प्रदेश में स्थापित गो आश्रय स्थल/केन्द्रों में संरक्षित निराश्रित/बेसहारा गोवंश को इच्छुक कृषकों/पशुपालकों/अन्य व्यक्तियों को सुपुर्द किये जाने हेतु "मा0 मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना।"

(3) महिलाओं, बच्चों एवं अन्य आयु वर्ग में कुपोषण की दर को कम किये जाने हेतु प्रदेश में स्थापित गो आश्रय स्थलों/केन्द्रों से गाय उपलब्ध कराये जाने की योजना।

3– सम्प्रति शासनादेश संख्या–4324/सैंतीस–2–2018–5(53)/2018 दिनांक–02.01.2019 एवं शासनादेश संख्या–313(1)/सैंतीस–2–2018–5(53)/2018टीसी–1 दिनांक 11.02.2019 में विद्यमान प्राविधानों के अनुसार, उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत निराश्रित गोवंश के भरण–पोषण हेतु अनुदान राशि रू0 30/– प्रति गोवंश/प्रतिदिन की दर से प्रदान किया जा रहा है।

4– शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश में संचालित गो आश्रय स्थलों/केन्द्रों में संरक्षित गोवंश, मा0 मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना एवं कुपोषित

5(53)28 Man Power (SY)

परिवारों को गाय उपलब्ध कराये जाने की योजना के अंतर्गत निराश्रित गोवंश के भरण–पोषण हेतु उपलब्ध कराई जा रही धनराशि रू0 30/– प्रति गोवंश प्रतिदिन को बढ़ाकर रू0 50/– प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया है।

5– धनराशि में उपर्युक्तानुसार वृद्धि दिनांक 01.10.2023 से प्रभावी होगी।

6– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

Signed by अमरनाथ उपाध्याय
भवदीय
Date: 20-09-2023 16:31:27
Reason: Approved

(अमरनाथ उपाध्याय)
विशेष सचिव।

संख्या–2275(1)/सैंतीस–2–2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री,उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0शासन।
5. अपर मुख्य सचिव,, नगर विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
6. अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
7. समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
8. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमरनाथ उपाध्याय)
विशेष सचिव।